न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
13/15/2021	2021/144	08.10.2021	19.03.2024

1. पंचायत समिति लक्ष्मणगढ अलवर जर्ये विकास अधिकारी।

—निगरानीकार

बनाम

1. महेन्द्र सिंह चौधरी पुत्र हुकम सिंह चौधरी निवासी ग्राम लक्ष्मणगढ तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राज०।
2. ग्राम पंचायत लक्ष्मणगढ तहसील लक्ष्मणगढ जरिये सचिव/सरंपच।

—गैरनिगराकार

निगरानी अन्तगर्त धारा 97(1) राज० पंचायती राज० अधिनियम 1994 विरूध आदेश दिनाक 20.10.2010 जिसके द्वारा गैरनिगराकार स० 1 को गैरनिगराकार स० 2 द्वारा ग्राम लक्ष्मणगढ मे मकान का पट्टा गलत प्रकार से जारी किया गया है।

उपस्थितः—

01.श्री अशोक शर्मा —वकील निगरानीकार

02.श्री मूलचंद चौधरी —वकील अनिगरानीकार सं0 01

—:: निर्णय ::—

यह कि निगरानी प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत लक्ष्मणगढ के समक्ष गैरनिगराकार स० 1 महेन्द्र सिंह चौधरी ने दिनांक 17.10.2010 को एक प्रार्थना पत्र मय नक्शा प्रति दो एंव भूमि सम्बधि कागजात पट्टा लेने बाबत प्रस्तुत किया जिस पर गाम पंचायत द्वारा दिनाक 20.07.2010 को उज्रदारी नोटिस जारी किये गये जिसमे किसी ने उज्र नही किया इस पर ग्राम पंचायत के पंचो द्वारा दिनाक 05.10.2010 को मौका देखा गया। मौका रिपोर्ट में पंचो ने लिखा कि मौके पर प्रार्थी का पुख्ता मकान बना हुआ है एंव इस मकान मे प्रार्थी अपने परिवार सहित रहता है। यह मकान प्रार्थी का बहुत ही पुराना है एंव इस मकान पर प्रार्थी का पूर्व से कब्जा है। इस मकान पर किसी प्रकार का कोई विवाद नही है इसलिए प्रार्थी का बंरग सुर्ख नक्शा मुताबिक पट्टा जारी करने की सिफारिश की जिस पर गाम पंचायत द्वारा महेन्द्र सिंह चौधरी पुत्र हुकम सिह चौधरी को पूर्व से पश्चिम तरफ उत्तर 22

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

चौधरी को पूर्व से पश्चिम तरफ उत्तर 22 फुट, लक्ष्मणगढ़ कठूमर रोड के मध्य से 50 फुट छोडकर तरफ दक्षिण 22 फुट, राम खिलाडी एडवोकट का प्लाट, उत्तर से दक्षिण तरफ पूर्व 40 फुट प्रभाती लाल सैनी का मकान एंव तरफ पश्चिम 40 फुट, महेन्द्र सिंह राजपूत का मकान जिसका कुल क्षेत्रफल 22 गुना 40 880 वर्गफुट बनता है। जिसकी राशि 2/– रूपये वर्ग फुट के हिसाब से 880 वर्गफुट की राशि 1760/– रूपये व 200/– रूपये पट्टा फीस पंचायत कोष में जमा कर देने के बाद नियम 157 के तहत पट्टा जारी करने के आदेश दिये गये। जिसके विरूध यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है । गैरनिगराकार स० 2 ने उक्त पट्टा कतई नियम विरूध जारी किया है तथा पंचायती राज० अधि० व राजस्थान पंचायती राज० नियमो की पूर्णतः अनदेखी व उपेक्षा करते हुये पट्टा जारी किया गया है। नियमन पट्टा जारी करते समय जिस मकान बाबत पट्टा जारी किया गया है उसकी सही वस्तु स्थिति की ना ही कोई जानकारी की उक्त भूखण्ड पर जो निमार्ण है, वह नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त कर कराया गया है या नही ना ही नियमानुसार कोई मौके का निरीक्षण कराया गया, जो कथित मौका निरीक्षण रिपोर्ट पेश कराई गई है। यह भी अपूर्ण है तथा उसने मौके से सबंधित कोई तथ्य मकान के आस पास की स्थिति का कोई उल्लेख नही किया गया है और ना ही जहां मकान स्थित है उस मौहल्ले पडौस का कोई नाम ही अकिंत किया गया है तथा मकान के आस पास सार्वजनिक गली या रास्ते की स्थिति का कोई आंकलन नही किया गया है कि अमुक मकान के निमार्ण से किसी प्रकार का अतिक्रमण सार्वजनिक रास्ता या गली मे तो नही किया गया है। मकान का पट्टा जारी करने हेतू जो उज्रदारी नोटिस निकाला गया है उसमे भी भूखण्ड की हदूद अर्बा या मौहल्ला/गली का कोई उल्लेख नही किया है ताकि उज्रदार मकान/भूखण्ड की कोई पहचान से उसकी उज्रदारी करने या करने की स्थिति पर विचार कर सके ना ही उज्रदारी नोटिस को सार्वजनिक स्थलो व प्रश्नगत भूखण्ड/भवन पर चस्पा किये जाने बाबत कोई निर्देश ही दिये गये ना ही उक्त उज्रदारी नोटिस को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किया गया या ऐसी किसी रिपोर्ट का हवाला ही अपने विवादित आदेश मे लिखा है। इस प्रकार विनियमन पट्टा विधिक प्रावधानो की पूर्ण अनेदखी करते हुयें जारी किया गया है जिस को मान्य करार नही दिया जा सकता है। उक्त पट्टे के आदेश बाबत जांच कराई गई तो उस जांच मे भी भारी अनियमितता जांच अधिकारी द्वारा पाई गई जिस जांच में पाया गया कि उक्त भूखण्ड हरिसिंह पुत्र गणेशीराम जाट निवासी खेरली रेला की खातेदारी भूमि खसरा न0 1173 रकबा 0.15 मे से मात्र 10/ रूपये के स्टाम्प पेपर से कयशुदा है उक्त रकबा मे 1000/वर्गगज भूमि उपखण्ड अधिकारी राजगढ के आदेश कमाक 2992–96 दिनांक 22.06.1990 द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण शुदा है। सरपंच व सचिव द्वारा प्रार्थी महेन्द्रसिंह चौधरी को रसीद स0 19279 दिनांक 25.10.2010 द्वारा 200/रूपये व अनुदान राशि रसीद स0 19280 दिनांक 25.10.2010 से राशि 2060 पचायत कोष में जमा कर दिनाक 20.10.2010 को पट्टा जारी किया गया है उक्त पट्टा पंचायती राज नियम 140 से 168 तक को नजर अंदाज कर पंचायत क्षेत्राधिकार से बाहर पट्टा जारी किया गया है इस प्रकार पंचायती राज नियमो की अवहेलना करते हुये उक्त पट्टा जारी किया गया है। निगरानी पर नियमानुसार न्याय शुल्क चस्पा है तथा निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त है। राजस्थान पंचायती राज० अधिनियम की धारा 97(1) मे निगरानी बाबत कोई मियाद प्रावधित नही है। उक्त अवैधानिकता की जानकारी लोकायुक्त के पत्र दिनाक 30.03.2017 से हुई जिससे यह निगरानी श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है। अतः

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि नियमन पट्टा आदेश दिनाक 20.10.2010 को निरस्त किये जाने के आदेश सादिर फरमाये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष के विद्वान वकील की बहस व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। नियमन पट्टा जारी करते समय जिस मकान हेतु पट्टा जारी किया गया उसकी वस्तु स्थिति की न ही कोई जानकारी की गई कि उक्त भूखण्ड पर जो निर्माण है, वह नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त कर कराया गया है अथवा नहीं न ही मौका निरीक्षण कराया गया है। पत्रावली पर पेश मौका रिपोर्ट में भी पट्टा लेने वाले भूखण्ड का कोई अंकन नहीं है। न ही मकान के आसपास की स्थिति का उल्लेख किया गया है। न ही सार्वजनिक गली या रास्ते की स्थिति का कोई आंकलन किया गया है। इसी प्रकार जारी उज्रदारी नोटिस में भी कोई पट्टा बावत् भूखण्ड की स्थिति का वर्णन किया गया है। उज्रदारी नोटिस को किसी सार्वजनिक सूचना पट्ट पर चस्पा किये जाने के प्रमाण पत्रावली में उपलब्ध नहीं हैं। पत्रावली पर उपलब्ध जांच रिपोर्ट में भी विवादित पट्टे के संबंध में जांच अधिकारियों द्वारा अंकित किया है कि उक्त भूखण्ड हरिसिंह पुत्र गणेशीराम जाट निवासी खेरली रेला की खातेदारी भूमि खसरा न0 1173 रकबा 0.15 मे से मात्र 10/ रूपये के स्टाम्प पेपर से कयशुदा है उक्त रकवा मे 1000/वर्गगज भूमि उपखण्ड अधिकारी राजगढ के आदेश कमाक 2992–96 दिनांक 22.06.1990 द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण शुदा है। सरपंच व सचिव द्वारा प्रार्थी महेन्द्रसिंह चौधरी को रसीद स0 19279 दिनांक 25.10.2010 द्वारा 200/रूपये व अनुदान राशि रसीद स0 19280 दिनांक 25.10.2010 से राशि 2060 पचायत कोष में जमा कर दिनाक 20.10.2010 को पट्टा जारी किया गया है उक्त पट्टा पंचायती राज नियम 140 से 168 तक को नजर अंदाज कर पंचायत क्षेत्राधिकार से बाहर पट्टा जारी किया गया है इस प्रकार पंचायती राज नियमो की अवहेलना करते हुये उक्त पट्टा जारी किया गया है। जिसके लिए सरपंच व सचिव ग्राम पंचायत लक्ष्मणगढ को दोषी माना है। उक्त विवादित आदेश पंचायतीराज अधिनियम 1996 के नियमों के विपरीत है। जिससे प्रतीत है कि निगरानीकार द्वारा निगरानी में पेश तथ्य उचित है। निगरानी निगरानीकार स्वीकार किए जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार की निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत लक्ष्मणगढ द्वारा के निर्णय दिनांक 20.10.2010 बहक गैरनिगरानीकार संख्या 01 निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी0 आर0 मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)